

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
विशाखपट्टणम – 530031

मानव संसाधन विभाग – नीति व नियम अनुभाग

सं.मा.सं/नी व नि/1/8(1)/95

दि.10.04.2020

मानव संसाधन नीति परिपत्र सं.07/20

विषय: विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना कर्मचारी भविष्य निधि (वी एस पी ई पी एफ) नियमों में संशोधन

भारत सरकार के द्वारा नए गैर-जमायोग्य अग्रिम लागू संबंधी दिनांक 27.03.2020 को राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुरूप विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना कर्मचारी भविष्य निधि (वी एस पी ई पी एफ) न्यास के खंड 15.1 के "गैर-जमायोग्य निकासी" नियम निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं:

खंड सं.	वर्तमान	संशोधित
15.1 (O)	—	<u>विशेष भविष्य निधि गैर-जमायोग्य ऋण</u> संस्थापना अथवा फैक्टरी, जो उपयुक्त सरकार द्वारा घोषित महामारी अथवा संक्रमण क्षेत्र में हो, उसके न्यास के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर ऐसे सदस्य को न्यास उसके भविष्य निधि खाते में से सदस्य के तीन (3) महीने का मूलवेतन एवं मँहगाई भत्ता अथवा 75% राशि, जो निधि के उसके/उसकी खाते में जमा हो, जो भी कम हो, गैर-जमा योग्य अग्रिम लेने की अनुमति देगा।

- विशेष भविष्य निधि गैर-जमा योग्य ऋण के लिए आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
 - विशेष भविष्य निधि ऋण हेतु कर्मचारी पे III टायर प्रणाली के माध्यम से ही आवेदन करेंगे। हार्ड कॉपी में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 - ऋण देने की प्रक्रिया महीने में दो बार अर्थात महीने की 18 तारीख एवं महीने के अंत में की जाएगी।
 - सदस्यों को महीने में केवल एक भविष्य निधि ऋण (अर्थात भविष्य निधि जमा योग्य ऋण/ भविष्य निधि गैर-जमा योग्य ऋण/ विशेष भविष्य निधि गैर-जमा योग्य ऋण) लेने की पात्रता होगी।
 - महामारी/संक्रमण फैलने के समय एक बार ही विशेष भविष्य निधि ऋण लेने की पात्रता होगी।
 - ऋण की राशि कर्मचारियों के वेतन खाते में एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से ही भेजी जाएगी।
- यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अंजली वी टोपनो)
10/04/2020

उप महाप्रबंधक (मा. सं)-प्रभारी पी व आर

वितरण:
मानक

यह परिपत्र मानव संसाधन के पोर्टल में उपलब्ध है। This circular is available on the HR Portal at:
<http://www.vspsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/HRPolicyCirculars.aspx>

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र VISAKHAPATNAM STEEL PLANT
विशाखपट्टणम VISAKHAPATNAM - 530031

मानव संसाधन विभाग - नीति व नियम अनुभाग
HR DEPARTMENT - POLICIES & RULES SECTION

सं.No. HR/RR/1/8(1)/95

दि. Dt. 10.04.2020


मानव संसाधन नीति परिपत्र HR POLICY CIRCULAR No.07/20

Sub: Amendment to Visakhapatnam Steel Project Employees' Provident Fund (VSP EPF) Trust Rules.

In accordance with introduction of a new Non-Refundable Advance for all the members of Provident Fund by Govt. of India vide Gazette notification dated 27.03.2020, Clause 15.1 of Visakhapatnam Steel Project Employees' Provident Fund (VSP EPF) Trust Rules dealing with "Non-Refundable Withdrawal" is amended as under:

Clause No.	Existing	Amended
15.1 (0)	—	<u>Special PF Non-Refundable loan</u> The trust may on an application from any member in any establishment or factory located in an area declared as affected by outbreak of epidemic or pandemic by the appropriate Govt., permit a non-refundable advance from the provident fund account of such member not exceeding Three (3) Months Basic Salary and Dearness Allowance of the member or up to 75% of the amount standing to his/her credit in the Fund, whichever is less.

2. The procedure for applying for the Special PF Non-Refundable loan and disbursement of the loan is as under:
 - i. The employees are to apply Special Non-refundable loan through PAY III Tier System under PF Loans. No physical applications shall be accepted.
 - ii. Loan will be processed twice in a month i.e., 18th of the month and end of the month.
 - iii. Members are eligible for only one PF loan in a month (i.e., PF Refundable Loan/ PF-Non Refundable loan/ Special PF Non Refundable Loan).
 - iv. Special PF Loan shall be allowed only once during occurrence of an epidemic/ a pandemic.
 - v. Loan amount will be paid to employee salary account through NEFT/RTGS only.
3. This comes into force with immediate effect.
4. This issues with the approval of competent authority.


(Anjali V Topno)
DGM(HR)-I/c P&R

Distribution:
Standard.

यह परिपत्र मानव संसाधन के पोर्टल में उपलब्ध है। This circular is available on the HR Portal at:
<http://www.vspsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/HRPolicyCirculars.aspx>